

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने का शिकारी ये निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल श्रेणी केवल आवासीय उपयोगार्थ

ए. लय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 704 दिनांक 10/3/2021

श्री बलदेव सिंह 510 श्री मंड. सिंह

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 10460/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2069/5720 5721

दिनांक 10/3/2021 को जमा करा दी है ।

12/3/2021

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

**दक्षिण**

मांग, 9

बालदेव सिंह